

310

433

निग-02988/2018/सतना/भू-शु

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
(म0प्र0)



कृष्णकान्त गौतम तनय शत्रुघ्न प्रसाद गौतम, निवासी ग्राम-नादन,
तहसील मैहर, जिला-सतना (म0प्र0)
—निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम्

1. सूलपाणि गौतम तनय शत्रुघ्न प्रसाद गौतम,
 2. शत्रुघ्न प्रसाद गौतम तनय रामानुज गौतम
- दोनों निवासीगण ग्राम-नादन, तहसील मैहर, जिला-सतना (म0प्र0)

—गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण
निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश
अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा
संभाग रीवा म0प्र0 श्री बी.एस. कुलेश
दिनांक 17.04.2018 जो प्रकरण क्र.
1198/अपील/15-16 में पारित किया
जाकर निगरानीकर्ता की अपील निरस्त
की गयी।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

आवेदक श्री कृष्णकान्त
गौतम तनय शत्रुघ्न प्रसाद
कृष्णकान्त/15-5-18
15-5-18

कलकत्ता ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

K. G. Gauram 1

(310)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.2988/2.1/2018 जिला-सतना

कृष्णाकांत गौतम विरुद्ध मूलपाषाण गोतम

(1)

(2)

(3)

16-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री. ज्योतिराम निवासी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1198/2.1/15-16 में पारित आदेश दिनांक 17-4-2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15-5-18 प्रस्तुत की गयी है।
2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।
3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।

सदस्य

K. K. G. autam 1